न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 89/2020 (2020/00395) दर्ज दिनांक 25.08.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. अमरचन्द आत्मज कालु गाडरी
2. उदा आत्मज गोपु गाडरी
3. कंकु पुत्री गोपु गाडरी
4. चांदी पत्नि गोपु गाडरी
5. चांदी पुत्री नानुराम गाडरी
6. डाली पुत्री गोपु गाडरी
7. देऊ पुत्री भुरा गाडरी
8. नोजी पुत्री मांगु गाडरी
9. प्यारी पुत्री कालु गाडरी
10. प्रथु आत्मज कालु गाडरी
11. भेरू आत्मज भुरा गाडरी
12. मोहनलाल आत्मज मियाराम गाडरी
13. लेहरी पुत्री नानूराम गाडरी
14. शंकरी पुत्री मांगु गाडरी
15. शोभा आत्मज गोपु गाडरी
16. हरि आत्मज कालु गाडरी
17. कैलाश आत्मज लेहरू गाडरी
18. चुन्नी पत्नि लेहरू गाडरी
19. रामलाल आत्मज हरलाल गाडरी
20. रामी पत्नि हरलाल गाडरी
21. श्यामु पुत्री हरलाल गाडरी

    सर्व निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

22. शंकरी पुत्री कालु गाडरी
23. भैरी पुत्री कालु गाडरी
24. अमरचन्द आत्मज कालु गाडरी

    सर्व निवासी गाडरीखेड़ा, कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल आत्मज लेहरू तली
2. नानु आत्मज लेहरू तेली
3. लेहरी पत्नि लेहरू तेली
4. गीतादेवी पत्नि रामेश्वर लाल गाडरी
5. संतोकी देवी पत्नि भेरूलाल गाडरी
6. किशन आत्मज नानुराम तेली

    सर्व निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

7. अनार आत्मज चांद मोहम्मद मुसलमान
8. छोटु खां आत्मज चांद मोहम्मद मुसलमान

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

9. जन्नत पत्नि चांद मोहम्मद मुसलमान
10. नजीर आत्मज अनवर खां मुसलमान
11. मोहम्मद खां महमु आत्मज चांद खां मुसलमान
12. हमीर आत्मज चांद मोहम्मद मुसलमान
13. रसीद आत्मज चांद मोहम्मद मुसलमान
14. खलील आत्मज फतह मोहम्मद मुसलमान
सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः— श्री रामेश्वर लाल जाट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः—09.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या एक लगायत 16 एवं मृतक खातेदार उदी पत्नि भुरा गाडरी, तुलसी पुत्री नानुराम गाडरी, मांगी पत्नि कालु गाडरी, लेहरू आत्मज मांगु गाडरी सर्व निवासी सहाड़ा व हरलाल आत्मज मियाराम गाडरी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2981 रकबा 0.50 हे0, आराजी संख्या 2982 रकबा 0.59 हे0, 2983 रकबा 0.28 हे0, कुल किता 03 कुल रकबा 1.37 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 668 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 एवं 15 ~~[illegible]~~ बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षीगण संख्या 9, 10, 11 फौत हो जाने से एवं 12, 13, 14 बाहर रहने से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाही है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:37 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन व गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या एक लगायत 16 एवं मृतक खातेदार उदी पत्नि भुरा गाडरी, तुलसी पुत्री नानुराम गाडरी, मांगी पत्नि कालु गाडरी, लेहरू आत्मज मांगु गाडरी सर्व निवासी सहाड़ा व हरलाल आत्मज मियाराम गाडरी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2981 रकबा 0.50 हे0, आराजी संख्या 2982 रकबा 0.59 हे0, 2983 रकबा 0.28 हे0, कुल किता 03 कुल रकबा 1.37 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 668 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/– (पांच सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/– (पांच सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner